सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: **NCST/SER-999/MCOL/9/2023-SSW**

दिनांक: **22.07.2026**

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
कोल इंडिया लिमिटेड,
कोल भवन,परिसर सं.- 04 MAR
प्लॉट सं.- AF-III, एक्शन एरिया -1A,
न्यूटाउन, राजरहाट, कोलकाता-700156
ई-मेल: chairman.cil@coalindia.in

विषयः कोल इंडिया लिमिटेड में E-7 ग्रेड से E-8 ग्रेड में ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को लागू न करने के संबंध में श्री मिलिंद पी. दुधे, सचिव, कोल इंडिया लिमिटेड SC/ST एम्प्लॉईज असोशिएशन (CISTEA), नागपुर (महाराष्ट्र) का दिनांक 14.06.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 17.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नः यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री मिलिंद पी. दुधे,
सचिव,
कोल इंडिया लिमिटेड SC/ST एम्प्लॉईज असोशिएशन (CISTEA),
डब्ल्यु/1, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क्रिडा संकुल,
डी.आर.सी, बाय पास राडे , जिला- चंद्रपुर, (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या - NCST/SER-999/MCOL/9/2023-SSW

कोल इंडिया लिमिटेड में ग्रेड E-7 से E-8 में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों हेतु आरक्षण नीति लागू न किए जाने के संबंध में श्री मिलिंद पी. दुधे, महासचिव, कोल इंडिया SC/ST Employees Association (CISTEA), नागपुर के अभ्यावेदन पर दिनांक 17.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 17.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड-कोल इंडिया SC/ST Employees Association (CISTEA), नागपुर के महासचिव श्री मिलिंद पी. दुधे ने अपने दिनांक 14.06.2023 के अभ्यावेदन के माध्यम से आरोप लगाया है कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ग्रेड E-7 से E-8 में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों हेतु आरक्षण नीति लागू नहीं की जा रही है, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध है। अभ्यावेदन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिनांक 12.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है। अभ्यावेदन के साथ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 26.09.2022 को उपलब्ध कराई गई सूचना की प्रति भी संलग्न की गई है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ग्रेड E-7 से E-8 में पदोन्नति चयन (Selection) एवं योग्यता-सह-ज्येष्ठता (Merit-cum-Seniority) के आधार पर की जाती है तथा इस स्तर पर आरक्षण लागू नहीं किया जाता है।

3. प्रकरण के संबंध में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिनांक 07.09.2023 को आयोग को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था, जिसमें अवगत कराया गया कि E-8 ग्रेड का पद जनरल मैनेजर स्तर का पद है, जो कोल इंडिया लिमिटेड के शीर्ष प्रबंधकीय पदों में से एक है तथा इस स्तर पर पदोन्नति चयन एवं योग्यता के आधार पर की जाती है। यह भी अवगत कराया गया कि संबंधित चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 14 मुख्य प्रबंधक (Chief Manager) विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे, जिनमें से 03 अधिकारियों को पदोन्नति हेतु अनुशंसित किया गया था। अतः पदोन्नति प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. आयोग द्वारा प्राप्त अभ्यावेदक के प्रत्युत्तर (Rejoinder) के संबंध में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिनांक 10.06.2026 को विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि अभ्यावेदक द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों का उत्तर पूर्व में दिनांक 07.09.2023 को दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि इसी विषय पर Coal India SC/ST Employee Association द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में W.P.(C) No. 6031/2024 एवं CM APPL. 25093/2024, Coal India SC/ST Employee Association बनाम Union of India एवं अन्य याचिका दायर की गई थी, जिसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2024 को निरस्त कर दिया गया।

5. कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने विस्तृत प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया कि ग्रेड E-7 से E-8 के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) का गठन सक्षम प्राधिकारी अर्थात अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड की स्वीकृति से किया गया था तथा DPC का गठन CIL HR Manual के प्रावधानों के अनुरूप था। यह भी अवगत कराया गया कि DPC की बैठकों के लिए आवश्यक पूर्व सूचना प्रदान की गई थी तथा साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से की गई थी। कोल इंडिया लिमिटेड ने यह भी स्पष्ट किया कि साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में अधिकारियों (900 से अधिक) का साक्षात्कार लिया जाना था, जिसके कारण सहायक सदस्यगणों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया गया, तथापि चयन बोर्ड की मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

6. प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि खनन (Mining) अनुशासन में E-8 स्तर पर दिनांक 01.03.2023 को कुल 249 रिक्तियां उपलब्ध थीं, जिनके विरुद्ध कुल 414 अधिकारियों ने साक्षात्कार में भाग लिया था। इनमें से केवल 133 अधिकारियों को ही पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया तथा अनुशंसित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसार, जनरल मैनेजर (E-8) का पद संगठन का एक उच्च प्रबंधकीय पद है, जिसके लिए केवल उन्हीं अधिकारियों की अनुशंसा की जाती है जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया जाता है। यह भी अवगत कराया गया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के योग्य अधिकारियों को उनके प्रदर्शन एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु अनुशंसित किया गया है।

7. दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग में कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधिगण आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने पुनः स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित प्रावधानों के अनुसार E-6 स्तर तक लागू की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि E-7 से E-8 स्तर की पदोन्नति चयन आधारित (Selection Post) प्रक्रिया के अंतर्गत होती है तथा वर्तमान नीति एवं प्रचलित नियमों के अनुसार इस स्तर पर आरक्षण लागू नहीं है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

8. अभ्यावेदक द्वारा आयोग के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि E-7 से E-8 स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व, पदोन्नति प्रतिशत तथा चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता के संबंध में विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों के पदोन्नति से संबंधित वास्तविक आंकड़ों एवं प्रतिनिधित्व की स्थिति का परीक्षण किया जाए।

9. प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवलोकन किया कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में चयन प्रक्रिया एवं पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है। तथापि, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों के वास्तविक प्रतिनिधित्व एवं पदोन्नति प्रतिशत के संबंध में विस्तृत सांख्यिकीय आंकड़ों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत माननीय आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की गईं –

1. कोल इंडिया लिमिटेड आयोग को एक विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, जिसमें E-7 से E-8 स्तर की पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित कुल अधिकारियों, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र अधिकारियों, साक्षात्कार हेतु उपस्थित अधिकारियों तथा पदोन्नति हेतु चयनित अधिकारियों का श्रेणीवार एवं वर्षवार विवरण उपलब्ध कराया जाए।

2. कोल इंडिया लिमिटेड यह भी स्पष्ट करे कि संगठन में E-6, E-7 एवं E-8 स्तरों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग का कुल प्रतिशत एवं संख्यात्मक प्रतिनिधित्व कितना है तथा पदोन्नति प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों की सफलता का प्रतिशत क्या रहा है।

3. E-7 से E-8 स्तर पर पदोन्नति के संबंध में लागू नीति, चयन प्रक्रिया, रिक्तियों की संख्या, चयनित अधिकारियों की संख्या तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों से संबंधित समस्त सांख्यिकीय एवं संख्यात्मक विवरण आयोग को उपलब्ध कराया जाए।

4. उपर्युक्त बिंदुओं पर विस्तृत एवं बिंदुवार अनुपालन प्रतिवेदन 30 दिवस के भीतर आयोग को प्रस्तुत किया जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-।

****

फाइल. सं. NCST/SER-999/MCOL/9/2023-SSW

दिनांक: 17.06.2026

विषय: कोल इंडिया लिमिटेड में E-7 ग्रेड से E-8 ग्रेड में ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को लागू न करने के संबंध में श्री मिलिंद पी. दुधे, सचिव, कोल इंडिया लिमिटेड SC/ST एम्प्लॉईज असोशिएशन (CISTEA), नागपुर (महाराष्ट्र) का दिनांक 14.06.2023 का अभ्यावेदन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड,
कोल भवन,परिसर सं.- 04 MAR प्लॉट सं.- AF-III, एक्शन एरिया -1A,
न्यूटाउन, राजरहाट, कोलकाता-700156

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	राजेश वी नायर	महाप्रबंधक (मा. सं.)	9422180393	नायर
2	पियूष चावला	समपर्क अधिकारी	9933955755	[signature]
3				
4				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				